दिनांक–05.08.2026 को अपराह्न 04.00 बजे से सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक (Video Conferencing) की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

दिनांक 05.08.2026 को सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ Video Conferencing के माध्यम से विभागीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व संग्रहण, Learning License/ Driving License शिविर, लंबित आवेदनों के निष्पादन, भारी मोटरयान चालक अनुज्ञप्ति, ई–चालान, सड़क सुरक्षा एवं कार्यालयीय कार्यक्षमता सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए:–

1. **मुख्य सचिव महोदय द्वारा श्रावणी मेला, 2026 के तैयारियों की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक में संसूचित निर्णय एवं प्रदत्त निदेशों का शत्प्रतिशत अनुपालन** :–

- वाहनों में काँवरियों / श्रद्धालुओं के Overloading नहीं होना ;
- सभी दुर्घटना संभावित स्थलों विशेषकर Blackspots पर प्रभावकारी सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना ;
- श्रद्धालुओं के भीड़ के नियंत्रण हेतु जिलों द्वारा निर्धारित Holding Point पर सुदृढ़ यातायात व्यवस्था लागू करना, ताकि भीड़ के दबाव पर प्रभावकारी नियंत्रण हो सके ;
- श्रद्धालुओं के सुगमतापूर्वक आवागमन एवं सुरक्षित निकास हेतु यातायात व्यवस्था पर सतत् अनुश्रवण करना ;

(अनु०–सभी RTAs, सभी DTOs, एवं सभी MVIs)

2. **राजस्व संग्रहण**:–

समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन कार्यालय एवं मोटरयान निरीक्षकों द्वारा माह जुलाई, 2026 के अंत तक संग्रहित राजस्व की समीक्षा के फलस्वरूप यह पाया गया कि RTA राँची, RTA हजारीबाग, DTO लोहरदगा, MVI जमशेदपुर, MVI लोहरदगा, MVI गढ़वा, MVI देवघर, MVI पाकुड़, MVI गोड्डा, MVI साहेबगंज, MVI सिमडेगा एवं MVI जामताड़ा द्वारा समीक्षी माह के अंत तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 60% भी प्राप्त नहीं किया जा सका है।

समीक्षा के फलस्वरूप सचिव, परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 60% भी प्राप्त नहीं किये जाने वाले कार्यालयों / पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही 60% से 80% के मध्य लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों / कार्यालयों को राजस्व में कमी के कारणों का मदवार विश्लेषण करते हुए शत्प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त 80% से अधिक राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने वाले कार्यालयों को कार्य में निरन्तरता बनाये रखने एवं शत्प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसके लिए बकायेदार वाहनों की सूची तैयार कर नोटिस निर्गत करने, कर–वंचना की जाँच, परमिट एवं निबंधन से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन तथा नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने का निदेश दिया गया।

साथ ही सचिव महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि वर्तमान अवधि में राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई, तो वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति कठिन होगी। अतः प्रत्येक जिले द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु पृथक कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। क्षेत्रीय राजस्व संग्रहण पदाधिकारियों (RTA's, DTO's MVI's) द्वारा माह जुलाई, 2026 के अंत तक संग्रहित राजस्व की विवरणी **Anexxure-A** के रूप में संलग्न है।

3. पंचायत स्तर पर LL/DL शिविरः–

- प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे LL/DL शिविरों को नियमित रूप से जारी रखा जाए। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने जिले की शत–प्रतिशत पंचायतों को शिविर से आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- जिन पंचायतों में अब तक शिविर आयोजित नहीं किया गया है, उन्हें चिह्नित करते हुए अगले एक माह के भीतर विशेष शिविर आयोजित किया जाए। शिविर आयोजन की तिथि एवं पंचायतवार कार्ययोजना पूर्व से तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

(अनु०–सभी **RTAs** एवं सभी **DTOs**)

- **श्रावणी मेला को दृष्टिगत रखते हुए देवघर एवं दुमका जिले** में प्रशासनिक एवं विधि–व्यवस्था संबंधी आवश्यकता के अनुसार LL/DL शिविरों को अस्थायी रूप से स्थगित रखने का निदेश दिया गया। श्रावणी मेला समाप्त होने के तत्काल बाद दोनों जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन पुनः प्रारंभ किया जाए तथा छूटे हुए पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाए।
- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजित होने वाले शिविरों के माध्यम से अधिक–से–अधिक संख्या में आम नागरिक लाभान्वित हों।
- आयोजित किये जाने वाली शिविरों का प्रचार–प्रसार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। शिविर की तिथि, स्थान, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रसारित की जाए।
- जिन पंचायतों में पूर्व में शिविर आयोजित कर Learning License निर्गत की गई है, वहाँ 30 दिनों के पश्चात् Driving License निर्गमन हेतु पुनः शिविर लगाना सुनिश्चित करें तथा चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन हेतु ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था की जाए। यदि संबंधित पंचायत में ड्राइविंग टेस्ट के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थल उपलब्ध नहीं हो, तो निकटवर्ती विद्यालय, मैदान अथवा अन्य उपयुक्त सरकारी परिसर को चिह्नित कर नियमानुसार ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाए।

(अनु०–सभी **RTAs** एवं सभी **DTOs**)

4. **HMV चालक अनुज्ञप्ति हेतु विशेष शिविरः—**

भारी मोटरयान चालक अनुज्ञप्ति के निर्गमन के लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ। संबंधित जिले में औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर एवं अन्य ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए, जहाँ भारी मोटरयान चालकों की संख्या अधिक है।

इन क्षेत्रों में शिविर आयोजन से पूर्व होर्डिंग, बैनर एवं अन्य प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए। शिविरों के माध्यम से निर्गत HMV चालक अनुज्ञप्तियों में महिला एवं पुरुष आवेदकों का पृथक—पृथक विवरण संधारित किया जाए।

5. **HMV चालक अनुज्ञप्ति का विवरणः—**

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने जिले में HMV चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों का अद्यतन आँकड़ा तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराएँ। प्रतिवेदन में कुल अनुज्ञप्तिधारियों के साथ महिला एवं पुरुष अनुज्ञप्तिधारियों का अलग—अलग विवरण अंकित किया जाए।

6. **ई—चालान की राशि जमा करने की सुविधाः—**

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ई—चालान की राशि VAHAN पोर्टल के माध्यम से ही जमा की जाती है, जिसके संदर्भ में सचिव महोदय द्वारा सभी DTO's को निदेशित किया गया कि नागरिकों को ई—चालान की राशि जमा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय में एक समर्पित ई—चालान हेल्प डेस्क/सहायता काउंटर स्थापित किया जाए। सहायता काउंटर से संबंधित सूचना कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाए। उक्त के संदर्भ में कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनु०—सभी **DTOs**)

7. **SARATHI Pendency :—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Sarathi Portal पर वर्त्तमान समय में Driving License के कुल 2410 मामले तथा Learning License के कुल 1334 मामले लम्बित है। Pendency की समीक्षा के फलस्वरूप सचिव महोदय द्वारा LL/DL से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का अभियान चलाकर निष्पादन किया जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही लंबित मामलों का निष्पादन पूर्ण होने के उपरांत संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाए कि उनके जिले में निर्धारित अवधि (02 से 06 माह) से अधिक का कोई आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं है। Sarathi Pendency की विवरणी **Anexxure-B** के रूप में संलग्न है।

8. **VAHAN Pendency :—**

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि VAHAN पोर्टल पर वर्तमान में लगभग 31,450 मामले लंबित हैं, जिनमें लगभग 11,000 मामले एक माह से अधिक अवधि से लंबित है। इस स्थिति पर सचिव, परिवहन विभाग द्वारा गंभीर असंतोष व्यक्त किया गया।

VAHAN PENDENCY						
Sl. No.	District	More than 15 days to one month	More than one month to two month	More than two month to six month	More than six month	Total Pending Cases
1	RANCHI (JH-1)	4885	2739	2556	1416	11596
2	HAZARIBAG (JH-2)	820	529	975	1136	3460
3	PALAMU (JH-3)	324	281	291	101	997
4	DTO OFFICE DUMKA (JH-4)	313	104	121	322	860
5	EAST SINGHBHUM (JAMSHEDPUR) (JH-5)	254	208	237	241	940
6	WEST SINGHBHUM (CHAIBASA) (JH-6)	105	101	267	155	628
7	GUMLA (JH-7)	631	548	424	391	1994
8	LOHARDAGA (JH-8)	173	136	92	116	517
9	BOKARO (JH-9)	173	235	247	214	869
10	DHANBAD (JH-10)	599	342	196	177	1314
11	GIRIDIH (JH-11)	519	183	248	146	1096
12	KODERMA (JH-12)	200	137	124	440	901
13	CHATRA (JH-13)	228	223	42	26	519
14	GARHWA (JH-14)	54	29	62	79	224
15	DEOGHAR (JH-15)	579	425	522	161	1687
16	PAKUR (JH-16)	315	300	262	187	1064
17	GODDA (JH-17)	51	43	28	20	142
18	SAHEBGANJ (JH-18)	133	71	106	94	404
19	LATEHAR (JH-19)	139	99	115	84	437
20	SIMDEGA (JH-20)	33	20	37	54	144
21	JAMTARA (JH-21)	265	176	66	183	690
22	SARAIKELA-KHARSAWAN (JH-22)	55	57	59	74	245
23	KHUNTI (JH-23)	37	19	18	3	77
24	RAMGARH (JH-24)	201	89	193	162	645
	TOTAL	**11086**	**7094**	**7288**	**5982**	**31450**

उक्त के क्रम में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि VAHAN पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी करते हुए माह अगस्त, 2026 के अंत तक लंबितता समाप्त करना सुनिश्चित करें।

9. छह माह से अधिक पुराने आवेदनः—

VAHAN एवं SARATHI पोर्टल पर छह माह से अधिक अवधि से लंबित आवेदनों की अलग से पहचान की जाए। ऐसे प्रत्येक मामले की समीक्षा कर नियमानुसार निष्पादन किया जाए।

दो माह से छह माह तक लंबित आवेदनों की भी विशेष समीक्षा कर उन्हें शीघ्र समाप्त किया जाए। बिना पर्याप्त कारण किसी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाए। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु०—सभी DTOs)

10. <u>चालक अनुज्ञप्ति प्रक्रिया का सरलीकरणः</u>–

समीक्षा के क्रम में सभी DTO's को चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं नागरिक–अनुकूल बनाने का निदेश दिया गया, जिसके निमित्त चालक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, शुल्क संरचना, विभिन्न चरणों एवं निर्धारित समय–सीमा को प्रदर्शित करने वाला स्पष्ट फ्लो–चार्ट तैयार किया जाए।

उक्त फ्लो–चार्ट को सभी जिला परिवहन कार्यालयों एवं संबंधित सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए।

11. <u>सड़क सुरक्षाः</u>–

- सड़क सुरक्षा को अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए अपने–अपने जिलान्तर्गत नियमित प्रवर्तन एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। प्रत्येक जिला परिवहन पदाधिकारी सड़क सुरक्षा गतिविधियों का वार्षिक एवं **मासिक एक्टिविटी कैलेंडर** तैयार करें।
- प्रत्येक सप्ताह कम–से–कम दो विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए तथा युवाओं एवं बच्चों को यातायात नियमों, हेलमेट, सीट बेल्ट, सुरक्षित वाहन चालन एवं दुर्घटना के समय सहायता से संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाए। इन कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन एवं व्यापक प्रचार– प्रसार हेतु स्थानीय प्रिंट, Electronic एवं डिजिटल मिडिया को मिडिया पार्टनर के रूप में सहभागी बनाया जाए। साथ ही परिवहन संघों तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों का आवश्यक सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- युवा वर्ग को केंद्र में रखते हुए सड़क सुरक्षा से संबंधित रैली, शपथ कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, कार्यशाला एवं अन्य सहभागितापूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की जाए। उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में मिडिया पार्टनर एवं विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। **(अनु०–सभी DTOs)**

12. <u>समन्वित जिला कार्ययोजनाः</u>–

सचिव, परिवहन विभाग द्वारा समीक्षा के क्रम में सभी RTA's एवं DTO's को राजस्व संग्रहण, सड़क सुरक्षा, चिह्नित ब्लैक स्पॉट एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय से संबंधित विषयों पर एक समेकित कार्ययोजना तैयार किये जाने का निदेश दिया गया, जिसमें परिवहन कार्यालय, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पथ निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए। प्रत्येक कार्यालय/जिला का कार्ययोजना 15 दिनों के अंदर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

साथ ही ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तात्कालिक एवं दीर्घकालिक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनु०–सभी RTAs एवं सभी DTOs)

13. **Audit Para** :- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2025–2026 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन कुल 15 जिला परिवहन कार्यालयों यथा–बोकारो/चाईबासा/चतरा/ धनबाद/देवघर/ दुमका/ गुमला/गोड्डा/जामताड़ा/कोडरमा/लातेहार/पाकुड़/रामगढ़/सरायकेला – खरसावाँ/ साहेबगंज तथा 02 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका/कोल्हान से मांगा गया है, जिसके आलोक में मात्र जिला परिवहन पदाधिकारी बोकारो/चाईबासा तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष कार्यालयों को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाता है।

(अनु०–संबंधित **RTAs** एवं **DTOs**)

14. कार्यालयीय कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता की समीक्षाः–

समीक्षा के अंत में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ नियमित बैठक करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक कर्मी को आवंटित कार्य, निष्पादन की स्थिति, लंबित मामलों एवं कार्यक्षमता की निरंतर समीक्षा करते हुए कार्यालयीय कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के कारणों की पहचान कर उनका समाधान किया जाने तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही निर्धारित किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सूचित किया गया कि परिवहन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व संग्रहण के साथ–साथ नागरिक सेवा केन्द्रित विभाग है। अतएव कार्यों में पारदर्शिता रखते हुए नागरिक सेवा मुहैया कराने के साथ–साथ राजस्व संग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अंत में सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को पूर्ण समन्वय, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए विभागीय सेवाओं को अधिक सुगम एवं नागरिक केन्द्रित बनाने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह० 07/8/26

(राजीव रंजन)
सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक–03/परि०वि०–25/2020 1239 /राँची,दिनांक–07/08/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 07/8/26

सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक–03 / परि०वि०–25 / 2020 1239 / राँची,दिनांक–07/08/26

प्रतिलिपिः–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/08/2026

अपर सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक–03 / परि०वि०–25 / 2020 1239 / राँची,दिनांक–07/08/26

प्रतिलिपिः–परिवहन आयुक्त / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / सड़क सुरक्षा कोषांग / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी / पी०एम०यू० कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/08/2026

अपर सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक–03 / परि०वि०–25 / 2020 1239 / राँची,दिनांक–07/08/26

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/08/2026

अपर सचिव,
परिवहन विभाग।